महिला मानवाधिकारों का संरक्षण : संयुक्त राष्ट्र संघ एवं भारत के विशेष सन्दर्भ में

डॉ0 राजीव कुमार
एसो0 प्रोफे0 एवं अध्यक्ष
राजनीति विज्ञान विभाग
आर0एस0एस0 (पीजी) कॉलेज, पिलखुवा (हापुड़)

अन्जू चौधरी
शोध छात्रा,राजनीति विज्ञान विभाग
आर0एस0एस0 (पीजी) कॉलेज,
पिलखुवा (हापुड़)

Email: chrajeev72@gmail.com

सारांश

महिलाओं की राजनीतिक यात्रा एक चुनौती भरा कदम है और कदम–कदम पर उन्हें पुरूष–प्रधान समाज के गतिरोधों का सामना करना पड़ा है। आज विश्व के प्रायः सभी देशों ने (अपवाद स्वरूप कुछ मुस्लिम राष्ट्रों को छोड़कर) महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों को स्वीकार कर लिया है।

वस्तुतः औद्योगिक क्रान्ति एवं दो विश्वयुद्धों में महिलाओं की दयनीय स्थिति से विश्व समुदाय का भी मन द्रवित हुआ। अतः संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के साथ ही महिलाओं के सुधार के लिए क्रान्तिकारी प्रयास भी प्रारम्भ हुए। इसनें सर्वप्रथम एक महिला आयोग (1946) की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र (1948) के अनुच्छेद–1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 विशेषतः महिला अधिकारों को व्यापक और सशक्त बनाते हैं।

भारत में लगभग 70 फीसदी जनसंख्या गाँवों में बसती है और उसमें भी आधी महिलाओं की है। अधिकांश ग्रामीण महिलाओं को इस बात का ज्ञान ही नहीं था कि अधिकार क्या होते हैं। ऐसी विपरीत परीस्थिति में भी हमारे संविधान निर्माताओं ने महिलाओं को संवैधानिक दृष्टि से समानता का दर्जा ही नहीं दिया बल्कि उनकी सुरक्षा और उनके उत्थान के लिए समुचित प्रावधान भी किये।

मुख्य शब्दः *मानवाधिकार, समानता, अधिकार, राष्ट्रीय महिला आयोग, सामाजिक*

Reference to this paper should be made as follows:

Received: 18.07.2019
Approved: 18.07.2019

डॉ0 राजीव कुमार
अन्जू चौधरी
महिला मानवाधिकारों का संरक्षण : संयुक्त राष्ट्र संघ एवं भारत के विशेष सन्दर्भ में

RJPP 2019,
Vol. XVII, No. 2,
pp.19-24
Article No. 4

***Online available at** : http:// rjpp.anubooks.com/*

प्रस्तावना

नारी समाज का एक अभिन्न अंग है। अतीत में नारी का समाज में सर्वोपरि स्थान रहा है। उसे सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता था परन्तु विगत वर्षों में महिलाओं के मानवाधिकारों का जितना उल्लंघन हुआ है, शायद पहले कभी नहीं हुआ।

गांधी जी ने कहा था, ''भारत गांवों में बसता है'' परन्तु आज इस लोकतंत्र में गांधी जी के सपनों का भारत कहीं सपनों में खो गया। हमनें कुछ गांवों की महिलाओं पर शोध किया तो पाया कि अधिकांश ग्रामीण महिलाओं को अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं है, वे घूँघट में रहती हैं, कई महिलाएँ तो ऐसी हैं जिन्होंने वर्षों से घर के बाहर कदम नहीं रखा, कुछ महिलाएँ घर की चारदिवारी में कैद होकर जीवनयापन कर रही हैं, हमने गांव की कुछ महिलाओं से बात करने का प्रयत्न किया तो वहाँ के पुरूषों ने इसका विरोध यह कहकर किया कि हमारे यहाँ स्त्रियाँ पराये मर्दों के सामने नहीं आती। महिलाएँ भी अपने उस घुटन भरे जीवन में सन्तुष्ट नजर आयीं क्योंकि वहाँ का यही रिवाज था। नारी को पैरों की धूल समझने वाले यह मर्द नारी स्वतंत्रता के घोर विरोधी हैं, महिलाओं का चारदीवारी में रहना, घर का सारा कामकाज करना व पति की सेवा करना ही उनका धर्म है।

महिलाओं के विकास एवं उनके अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने 18 दिसम्बर, 1979 को महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव समाप्त करने के बारे में प्रस्ताव पारित किया, जो 3 दिसम्बर 1981 से प्रभावी हुआ। प्रस्ताव में ग्रामीण महिलाओं की विशेष समस्याओं और अपने परिवारों का अस्तित्व बनाये रखने में उनके महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित किया गया।

भारत में लगभग 72 प्रतिशत आबादी गांवों में बसती है और उसमें से आधी महिलाओं की है। यहाँ यह बात स्पष्ट है कि भारत जैसे विशाल देश के विकास में ग्रामीण महिलाओं की अहम भूमिका होती है, इसे नकारा नहीं जा सकता है परन्तु यह पुरूष प्रधान समाज नारी को कोई अधिकार ही नहीं देना चाहता। उसे दासी के समान जीने का अधिकार देता है।

ग्रामीण महिलाओं के पिछड़ेपन के कई कारण हैं, इनमें से सबसे बड़ा कारण है उनका अशिक्षित होना और यही कारण शोषण तथा उत्पीड़न का भी रहा है। ग्रामीण महिलाओं को इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि अधिकार क्या होते हैं। देश और समाज में महिलाओं का हर स्तर पर शोषण, उत्पीड़न और अपमान होना चला आ रहा था। ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी हमारे संविधान निर्माताओं ने महिलाओं को संवैधानिक दृष्टि से समानता का दर्जा ही नहीं दिया अपितु उनकी सुरक्षा और उनके उत्थान के लिए समुचित प्रावधान भी किये। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थान महिला अधिकारों की दिशा में पहले से कार्यरत है, जहाँ तीनों स्तरों पर सदस्यों और अध्यक्षों के कम से कम एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के विभिन्न कार्यक्रम तैयार करने और उन्हें लागू करने का दायित्व पंचायतों को सौंपा गया है।

महिलाओं का मानवाधिकार

ऐतिहासिक अवलोकन किया जाय तो न्याय, समानता एवं अधिकारों के लिए प्रथम महिला सम्मेलन वर्श 1848 में अमेरिका में ही सम्पन्न हुआ, यद्यपि इसके पूर्व गर्भपात निरोधक अधिनियम (1803 ब्रिटेन), सती प्रथा समापन, (1829 भारत), विधवाओं का पुनर्विवाह (1856 भारत) जैसे प्रयास किये जा चुके थे, किंतु इन प्रयासों में समाज सुधारकों एवं जन–आन्दोलनों का प्रत्यक्ष प्रभाव था, न कि स्वयं महिलाओं का।

ब्रिटेन में 1890 से एवं अमेरिका में मताधिकार हेतु महिलाओं के आन्दोलन की परिणति नेशनल वूमेन सफरेज एसोसियेशन (1869) के रूप में हुई; जिसका विश्वव्यापी प्रभाव यह रहा हकि महिलाओं को प्रथम बार मताधिकार का अधिकार (न्यूजीलैण्ड–1893, अमेरिका–1919, ब्रिटेन–1928) प्राप्त हुआ। वस्तुतः औद्योगिक क्रान्ति और दो विश्व युद्धों में महिलाओं की दयनीय स्थिति से विश्व समुदाय का भी मन व्यथित हुआ। अतः संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना (1945) के साथ महिलाओं के सुधार के लिए क्रान्तिकारी प्रयास भी प्रारम्भ हुए। यह संयुक्त राश्ट्र संघ ही था, जिसने सर्वप्रथम महिलाओं की दयनीय स्थिति में सुधार के लिए एक महिला आयोग (ऑन द स्टेट ऑफ वूमेन, 1946) की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र (1948) के अनुच्छेद– 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 विशेषतः महिला अधिकारों को व्यापक और सशक्त बनाते हैं।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसम्बर, 1952 में महिलाओं के राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अभिसमय अंगीकार किया। जिस पर विश्व के 40 देशों ने अपनी सहमति व्यक्त की। पुनः विवाहित महिलाओं की राष्ट्रीयता सम्बन्धी अभिसमय महासभा द्वारा अंगीकृत किया गया जो 11 अगस्त, 1958 से प्रभावी भी हो गया है। महिलाओं सम्बन्धी अब तक किये गये प्रयासों के अनुरूप तथ्य पूर्व प्रस्तावों को समेकित करते हुए महासभा ने एक व्यापक और विस्तृत दस्तावेज 18 दिसम्बर, 1957 को अंगीकृत किया गया जो 11 अगस्त, 1958 से प्रभावी भी हो गया है। महिलाओं सम्बन्धी अब तक किये गये प्रयासों के अनुरूप तथा पूर्व प्रस्तावों को समेकित करते हुए महासभा ने एक व्यापक और विस्तृत दस्तावेज 18 दिसम्बर, 1979 को अंगीकृत किया जो 3 सितम्बर, 1981 से प्रभावी है। यह दस्तावेज नारी अधिकारों, उसके सम्मान और न्याय के लिए जाना जाता है। महिला के प्रति विभिन्न प्रकार के विभेदों का प्रतिशेध अभिसमय 1979 को अंगीकृत करने के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रथम बार महिलाओं के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत अधिकारों को संहिताबद्ध किया, पुनः 20 दिसम्बर 1993 को महासभा में महिलाओं के प्रति हिंसा दूर करने सम्बन्धी घोषणापत्र पारित किया गया, अपितु उसके व्यापक अधिकारों को भी सुनिश्चित किया गया।

घोषणा के अनुच्छेद–1 के अनुसार महिलाओं के प्रति हिंसा में लिंग भेद पर आधारित उन सभी कृत्यों को शामिल कर लिया गया है, जिनसे महिलाओं को शारीरिक, मानसिक या यौन सम्बन्धी प्रताड़ना सहनी पड़ती है। पुनः अनुच्छेद–2 के अंतर्गत इन कृत्यों को क्षेत्रीय विस्तार देते हुए घर के अन्दर या बाहर या सार्वजनिक स्थलों या यात्रा के दौरान या सरकारी कर्मचारियों के अभिरक्षा के दौरान किये गये कृत्यों को शामिल किया गया है। पुनः अनुच्छेद–3 में यह उसकी

सुरक्षा का अधिकार होगा जिसमें निम्न सम्मिलित हैं–(1) जीवन का अधिकार (2) समानता का अधिकार (3) स्वतंत्रता तथा व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार।

प्रथमतः राजनीतिक अधिकारों (नागरिक अधिकारों) का अवलोकन किया जाये तो इनका प्रारम्भ महिलाओं के मताधिकार आन्दोलन (1848) से माना जा सकता है। अब विश्व के प्रायः सभी देशों ने अपवादस्वरूप कुछ मुस्लिम राष्ट्रों को छोड़कर महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों को स्वीकार कर लिया है। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमाओ भण्डार नायके (1960) की राजनीतिक यात्रा का अनुसरण करते हुए भारत, इजरायल, ब्रिटेन, फिलीपींस, कनाडा, फ्रांस, आयरलैण्ड आदि देशों में महिलाएँ या तो प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष चुनी गई। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भी महिलाएँ अनेक पदों पर कार्यरत है।

इस सन्दर्भ में भारतीय राजनीतिक परिदृश्य की चर्चा समीचीन होगी, जहाँ महिलाओं को राजनीति में 33 प्रतिशत आरक्षण सम्बन्धी विधेयक संसद में पेश किये जाने का प्रयासगत कई वर्षों से हो रहा है। यद्यपि विश्व के किसी भी देश में इस तरह का प्रावधान नहीं है। भारत ने इसका श्री गणेश 73वां एवं 74वा संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों एवं नगर–निगमों के चुनाव में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देकर कर दिया है। इस आरक्षण का प्रभाव यह हुआ कि पूरे देश में आज लाखों महिलाएँ पंचायत या नगर निगम में सफलतापूर्वक चुनकर कार्य कर रही हैं। इससे उनकी न केवल आत्मशक्ति अपितु उनके राजनीतिक व्यक्तित्व का भी बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है। अब इस प्रयोग को राज्यों की विधानसभाओं एवं संसद में भी दोहराए जाने की माँग की जा रही है। यदि यह व्यवस्था स्थापित हो जाती है तो यह भारतीय महिलाओं के राजनीतिक अधिकार का एक उल्लेखनीय प्रावधान होगा। महिलाओं की राजनीतिक यात्रा एक चुनौती भरा कदम है और कदम–कदम पर उन्हें पुरूष–प्रधान समाज के गतिरोधों का सामना करना पड़ा है। इस सन्दर्भ में बहुत कुछ किया जाना शेष है।

द्वितीयतः महिलाओं के सामाजिक अधिकार ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र अभिसमय 1979 के अनुच्छेद–11 के अंतर्गत कहा गया है कि महिलाओं एवं पुरूषों की समानता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को निम्न अधिकारों को अपनी विधिक व्यवस्था में स्थान देकर उन्हें क्रियान्वित करना होगा–

1. काम करने का अधिकार।
2. रोजगार के समान अवसरों का अधिकार।
3. व्यवसाय के स्वतंत्र चुनाव का अधिकार।
4. समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार।
5. सेवानिवृत्ति, वृद्धावस्था एवं बीमारी की अवस्था में सामाजिक सुरक्षा का अधिकार।
6. स्वास्थ्य के संरक्षण का अधिकार।

संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार घोषणा पत्र, 1948 के अंतर्गत महिलाओं को निम्न अधिकार प्रदत्त किया जाना एक अनिवार्य आवश्यकता माना गया है–

1. गरिमापूर्ण जीवन, स्वतंत्रता एवं सुरक्षा का अधिकार (अनु0 2 तथा 3)
2. विधिक समानता का अधिकार (अनु0 1.6.7)
3. विभेदकारी प्रावधानों से सुरक्षा (अनु0 2)
4. पारिवारिक व्यवस्था व राज्य तथा समाज से सुरक्षा का अधिकार (अनु0 16(3))
5. व्यक्तिगत जीवन, परिवार, घर, पत्राचार आदि की एकान्तता का अधिकार (अनु0 12)

इसी प्रकार आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों की घोषणा 16 दिसम्बर 1966 के द्वारा महिलाओं के पक्ष में निम्न प्रावधान किये गये हैं–

1. रोजगार का अधिकार (अनु0 4)
2. समान कार्य के लिए समान वेतन (अनु0 5)
3. सामाजिक सुरक्षा का अधिकार (अनु0 10)
4. शिशु मृत्यु दर में कमी तथा बच्चों का स्वास्थ्य विकास (अनु0 13)
5. प्राथमिक शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था (अनु0 16)

नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों की घोषणा 16 दिसम्बर 1966 के अंतर्गत भी महिलाओं के लिए निम्न अधिकारों को प्रदत्त किया जाना विधिक व्यवस्था का एक अंग घोषित किया गया।

1. जीवन का अधिकार (अनु0 3)
2. यातना या अमानवीय व्यवहार से संरक्षण का अधिकार
3. निजता का संरक्षण (अनु0 13)

भारतीय संविधान एवं महिलाएँ

अनु0 15(3) के ही प्रावधानों का सहारा लेकर संसद ने 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम पारित किया।

भारत के संविधान का अनुच्छेद–42 महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता की व्यवस्था करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। राज्य के इस निदेषक तत्व को क्रियान्वित करने के लिए संसद ने प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 पारित किया। इस अधिनियम में इस प्रकार की सुविधाओं प्रसूति प्रसुविधा का संदाय, चिकित्सकीय बोनस का संदस्य, गर्भपात आदि की दशा में छुट्टी, बंध्याकरण ऑपरेशन के लिए मजदूरी के साथ छुट्टी, गर्भावस्था, प्रसव, समय पूर्व प्रसव या गर्भपात से पैदा होने वाली रूग्णता के लिए छुट्टी तथा पोषणार्थ विराम आदि का उपबंध किया गया है।

संविधान का अनुच्छेद–43 कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रावधान करता है। निश्चय ही इसमें महिलाएँ भी शामिल हैं। इस अनुच्छेद के निर्देश के अनुपालन में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 पारित किया गया है।

संविधान का अनुच्छेद 39(घ) पुरूषों एवं स्त्रियों दोनों के लिए समान वेतन दिये जाने का उपबंध करता है। इस अनुच्छेद के निर्देशो के अनुपालन में संसद ने समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 पारित किया।

संविधानिक प्रावधानों की कड़ी में संविधान का 73वां एवं 74वां संशोधन भी आता है। इसके माध्यम से जहाँ तक महिलाओं के अधिकार का प्रश्न है, उसे आरक्षण के माध्यम से होने का प्रयत्न प्रभावी रूप से सफल रहा है। संविधान का अनुच्छेद–51(क)(ङ) जो मूल कर्तव्यों से सम्बन्धित है। भारत के प्रत्येक नागरिक पर यह कर्तव्य अधिरोपित करता है कि वे ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध हैं।

संदर्भ ग्रंथ

1. नाटाणी, प्रकाश नारायण, *महिला संरक्षण एवं न्याय*, बुक एंकलेव प्रकाशन, जयपुर, 2007
2. थोराट, सुखदेव, *भारत में दलित*, सेज प्रकाशन, नई दिल्ली, 2011
3. प्रसाद, गोपाल, *लोकतंत्र और सामाजिक न्याय*, यूनिवर्सिटी प्रकाषन, नई दिल्ली, 2009
4. सिंह, नरेन्द्र, *मानवाधिकार एवं महिला सहभागिता,* राहुल पब्लिशिंग हाउस, मेरठ, 2015
5. गौतम, रमेश प्रसाद (संम्पा0), *मानव अधिकार : विविध आयाम,* विश्वविद्यालय प्रकाशन सागर (म0प्र0), 2003
6. मिश्र दामोदर, शुक्ला अखिल, *मानवाधिकार : दशा एवं दिशा,* पाइन्टर प्रकाशन, जयपुर, 2006
7. साबत, सत्य नारायण, *भारत में मानवाधिकार*, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, 2014
8. यादव, डी0एस0, *भारत में मानवाधिकार*, आस्था प्रकाशन, जयपुर, 2012
9. माथुर, कृष्ण मोहन, *स्वातंत्र्योत्तर भारत में मानवाधिकार,* ज्ञान पब्लिकेषन, नई दिल्ली, 2000
10. पटेल, मनोज कुमार, *समकालीन महिला अधिकार*, दर्पण प्रकाशन, गुजरात, 2011